

महलिआरक्षणवधियक, 2023 में OBC संबंधी चतिएँ

प्रलिमिस के लयिः

महलिआरक्षणवधियक, 2023, अन्य पछिड़ावर्ग (OBC) का उप-वर्गीकरण, सर्वोच्च न्यायालय, गीता मुखर्जी रपोर्ट, मंडल आयोग, NCBC के लयिसंवेदनकि दरजा, न्यायमूरतजी. रोहणी आयोग

मेन्स के लयिः

OBC महलिआओं के लयिसीटों के आरक्षण के पक्ष और वपिक्ष में तरक्क, OBC आरक्षण का ऐतहिसकि वकिास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारति **महलिआरक्षणवधियक, 2023** में **अन्य पछिड़ावर्ग** की महलिआओं के लयिकोटा खत्म कयिया जाना चर्चा का वषिय बना हुआ है। आलोचकों ने इस कदम को प्रमुख सरकारी पदों पर OBC के नमिन प्रतनिधित्व को लेकर चति के रूप में इंगति कयिया है।

अन्य पछिड़ेवर्गों के प्रतनिधित्व संबंधी चतिएँ:

■ संदरभः

- महलिआरक्षणवधियक 2023, जो लोकसभा और राज्यवधिनसभाओं में महलिआओं के लयिसीटों आरक्षति करता है, में OBC की महलिआओं के लयिकोई प्रावधान नहीं है।
 - इसके अलावा **अनुसूचित जाति** और **अनुसूचित जनजाति** के वपिरीत भारतीय संवधिन लोकसभा अथवा राज्यवधिनसभाओं में OBC के लयिराजनीतिक आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।

■ प्रमुख मुद्दे:


- आलोचकों का तरक्क है कि OBC, जो आबादी का 41% हसिसा है (राष्ट्रीय प्रतदिर्श सरकेक्षण संगठन के वर्ष 2006 के सर्वे के अनुसार), का लोकसभा, राज्यवधिनसभाओं और स्थानीय सरकारों में प्रतनिधित्व अपर्याप्त है।
 - ये एससी और एसटी के लयिआरक्षण की तरह ही लोकसभा और राज्यवधिनसभाओं में अपने लयिअलग कोटा की मांग कर रहे हैं।
 - हालाँकि सरकार ने वधिकि एवं संवेदनकि बाधाओं का हवाला देते हुए ऐसा कोटा लागू नहीं कयिया है।
- उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र जैसी कई राज्य सरकारों ने इन्हें स्थानीय नकियाय चुनावों में उचति प्रतनिधित्व प्रदान कयिया है।
 - लेकनि **सर्वोच्च न्यायालय** ने समग्र आरक्षण पर 50% की सीमा आरोपति की है (वकिासकशिनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य), जिसमें OBC आरक्षण को 27% तक सीमति कयिया गया है।
 - 50% की यह ऊपरी सीमा इंदरि साहनी बनाम भारत संघ फैसले के अनुरूप है।
 - इस नियम की इस आधार पर आलोचना की गई कर्तव्य 27% आरक्षण, राज्यों में OBC जनसख्या के अनुपात में नहीं है।

■ लोकसभा में OBC सदस्यों की वर्तमान संख्या:

- 17वीं लोकसभा में OBC समुदाय से लगभग 120 सांसद हैं, जो लोकसभा की कुल सदस्य क्षमता का लगभग 22% है।

Caste profile of 17th Lok Sabha

Upper caste Minorities SCs STs OBCs



■ गीता मुखर्जी रपोर्ट:

- [गीता मुखर्जी रपोर्ट](#) में महलिआरक्षणवधियक कीव्यापकसमीक्षाकीगईथीजसेपहलीबारवरष1996मेंसंसदमेंप्रस्तुतकियगयाथा।
- इसरपोर्टमेंवधियकमेंसुधारहेतुसातसफिरशिंकीगईथी,जसिकाउद्देश्यलोकसभाएवंराज्यवधिनसभाओंमेंमहलिआरक्षणकेलयिः 33%आरक्षणप्रदानकरनाथा।
- कुछसफिरशिंइसप्रकारहैं:
 - 15वर्षकीअवधिकेलयिआरक्षण।
 - एंगलोइंडियन्सकेलयिउप-आरक्षणभीशामलिहो।
 - ऐसेमामलोंमेंआरक्षणजहाँराज्यमें[लोकसभा](#)मेंतीनसेकमसीटेहैं(याअनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजातिकेलयितीनसेकमसीटेहैं)।
 - इसमेंदलिलीवधिनसभाकेलयिआरक्षणभीशामलिहै।
 - राज्यसभाऔरवधिनपरिषदोंमेंसीटोंकाआरक्षण।
 - संवधिनद्वाराOBCकेलयिआरक्षणकावसितारकरनेकेबादOBCमहलिआरक्षणप्रदानकरना।

OBCमहलिआरक्षणकेलयिसीटोंकेआरक्षणकेपक्षऔरवपिक्षमेंतरक़:

पक्षमेंतरक़	विरुद्धतरक़
<ul style="list-style-type: none"> ▪ उन्हेंअपनीजाति,वर्गऔरलगिकेआधारपरकईप्रकारके भेदभाववउत्तीर्णकासामनाकरनापड़ताहै।प्रायःउन्हें शक्षिए,स्वास्थ्य,रोजगार,राजनीतिकिप्रतिविवितथासामाजिकन्यायतकपहुँचसेवंचातिकरदियाजाताहै। ▪ वेवभिन्नसंस्कृतियों,भाषाओं,धर्मोंऔरकषेतरोंकेसाथआबादीकेएकबड़ेएवंविविधवर्गकाप्रतिविवितकरतीहैं।उनकीअलग-अलगआवश्यकताएँऔरआकांक्षाएँहैंजनिकाअन्यश्रेणियोंकीमहलिआरक्षणकाप्रयाप्तप्रतिविवितनहींकियाजासकताहै। ▪ उन्हेंऐतिहासिकरूपसेराष्ट्रीयऔरराज्यदोनोंस्तरोंपरराजनीतिकिक्षेतरमेंकमप्रतिविविवितदियागयाहैतथाहाशयिपररखागयाहै।उन्हेंपत्रिसत्तात्मकमानदंडों,जातिगित 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ वधियकमेंपहलेसेहीअनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजातिकिमहलिआरक्षणकेलयिसीटोंकेआरक्षणकाप्रावधानहै,जोकिसमाजमेंसबसेवंचातिएवंकमज़ोरसमूहहैं।OBCमहलिआरक्षणकेलयिएकऔरकोटाजोड़नेसेसामान्यश्रेणीकीमहलिआरक्षणकेलयिउपलब्धसीटेकमहोजाएंगी,जिन्हेंपुरुष-प्रधानराजनीतिकिव्यवस्थामेंभेदभावतथाचुनौतियोंकाभीसामनाकरनापड़ताहै। ▪ OBCमहलिआरक्षणकेलयिअलगआरक्षणकाविविधमहलिआंदोलनकेबीचऔरअधिकिवभाजनएवंसंघरषपैदाकरेगा।यहसामाजिकप्रविरतनकेलयिसामूहिकशक्तिकेरूपमेंमहलिआरक्षणकीएकजुटतावएकताकोभीकमज़ोरकरेगा। ▪ OBCमहलिआरक्षणकेलयिअलगआरक्षणसेउनकीसमस्याओंजैसे-गरीबी,अशक्षिए,हस्ति,पत्रिसत्ता,जातिविदऔरभ्रष्टाचारकेमूल

पक्ष में तरक	विरुद्ध तरक
<p>पूरवाग्रहों, हस्सा एवं धमकी, संसाधनों तथा जागरूकता की कमी व कम आत्मविश्वास जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।</p>	<p>कारणों का समाधान नहीं होगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> यह राजनीतिक क्षेत्र में उनकी प्रभावी भागीदारी और प्रत्यक्षिति की गारंटी भी नहीं देगा, क्योंकि उन्हें अभी भी अपने दलों तथा समुदायों के पुरुष नेताओं द्वारा प्रतीकात्मकता, सह-विकल्प, हेर-फेर एवं वरचस्व जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

भारत में OBC आरक्षण का ऐतिहासिक विवरण:

- कालेलकर आयोग (1953):** यह यातरा वर्ष 1953 में कालेलकर आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SC) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) से परे पछिड़े वर्गों को मान्यता देने का पहला उदाहरण पेश किया।
- मंडल आयोग (1980):** वर्ष 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रपोर्ट में **OBC आबादी 52%** होने का अनुमान लगाया गया था और देशभर में 1,257 समुदायों को पछिड़े वर्ग के रूप में पहचाना गया। इसने मौजूदा कोटा (जो पहले केवल SC/ST के लिये लागू था) को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने का सुझाव दिया।
 - इन सुझावों के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 16(4) के तहत OBC के लिये केंद्रीय सविलि सेवा में 27% सीटें आरक्षित करते हुए आरक्षण नीति लागू की।
 - यह नीति अनुच्छेद 15(4) के तहत केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू की गई थी।
- "क्रीमी लेयर" बहषिकरण (2008):** आरक्षण का लाभ सबसे वंचित व्यक्तियों तक पहुँचे यह सुनिश्चित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने OBC समुदाय में से "क्रीमी लेयर" को आरक्षण से बाहर करने का निर्देश दिया।
- NCBC के लिये संवैधानिक स्थति (2018):** 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने **राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग (NCBC)** को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे OBC सहित पछिड़े वर्गों के हतों की सुरक्षा हेतु इसके अधिकार और मान्यता में वृद्धि हुई।
- न्यायप्रतिज्ञी, रोहणी आयोग:** संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार, 2 अक्टूबर, 2017 को इसका गठन किया गया और **न्यायप्रतिज्ञी, रोहणी की अध्यक्षता वाले आयोग** ने लगभग छह वर्ष बाद अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) की जातियों के उप-वर्गीकरण के लिये लंबे समय से प्रतीक्षित रपोर्ट सामाजिक न्याय तथा अधिकारता मत्रालय को सौंपी।
 - रपोर्ट OBC के बीच उप-वर्गीकरण की अनविार्यता को रेखांकित करती है।
 - इस उप-वर्गीकरण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से कम प्रत्यक्षिति वाले OBC समुदायों के लिये अवसरों को बढ़ाने हेतु मौजूदा 27% आरक्षण सीमा के अंतर्गत आरक्षण आवंटित करना है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विवित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के नमिनलखिति संगठनों/नकियों पर विचार कीजिये: (2023)

- राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
- राष्ट्रीय विधिआयोग
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

उपर्युक्त में से कितने संविधानिक नकिये हैं?

- (a) केवल एक
 (b) केवल दो
 (c) केवल तीन
 (d) सभी चार

उत्तर: (a)